



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

104-2015/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 15, 2015 (JYAISTHA 25, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 जून, 2015

संख्या 15/एस.टी.-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2015.—चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) के साथ पठित उक्त उप-धारा के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, प्रथम अप्रैल, 2015 से उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा अनुसूची ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में,—

- (1) अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 12 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

Price : Rs. 5.00

(1501)

1	2
"12	रासायनिक खाद, जैविक खाद और जिप्सम।";
(2) अनुसूची ग में,—	
(i)	खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 21क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
1	2
"21 क	कोम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्पस, ट्यूब्स तथा बल्बस तथा टी-5, 28 वाटज ऐनिरजी ऐफिसैन्ट, इलैक्ट्रॉनिक बालास्ट युक्त इलैक्ट्रॉनिक ट्यूब लाईट्स की चोक तथा एल.ई.डी. लाईट्स";
(ii)	खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 60 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
1	2
"60	सभी प्रकार की पाईप तथा पाईप फिटिंग जिसमें गेलवेनाईज़्ड आयरन पाईप, कास्ट आयरन पाईप, डक्टाईल पाईप, पोली विनाईल क्लोराईड पाईप तथा कन्ड्यूट पाईप शामिल हैं";
(iii)	खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 63 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
1	2
"63	पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले तथा पौधा पौषक";
(iv)	खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 68 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
1	2
"68क	"प्री-इंजिनियर्ड इस्पात बिल्डिंग तथा पैफ पैनल सहित उसके इस्पात संघटक।"।

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 15th June, 2015

No. 15/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2015.- Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 59 read with the proviso to said Sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Schedules B and C appended to the said Act, with effect from 1st April, 2015, by dispensing with the condition of previous notice, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003),-

- (1) in Schedule B, under columns 1 and 2, for serial number 12 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
“12	Chemical fertilizer, bio-fertilizer and gypsum.”

- (2) in Schedule C,

- (i) under columns 1 and 2, for serial number 21A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
“21A	Compact fluorescent lamps, tubes and bulbs and chokes of T-5, 28W energy efficient, electronic tube lights with electronic ballast and LED lights”;

- (ii) under columns 1 and 2, for serial number 60 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
“60	Pipes and pipe fittings of all varieties including Galvanized Iron pipes, Cast Iron pipes, ductile pipes, Poly Vinyl Chloride pipes and conduit pipes”;

- (iii) under columns 1 and 2, for serial number 63 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1	2
“63	Plant growth promoters and plant nutrients.”

- (iv) under columns 1 and 2, after serial number 68 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
“68A	“Pre-engineered steel building and steel components thereof including puff panels.”.

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.